

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर


तारीख हुक्म	जयराम बनाम मुरली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	109 2021	

29-9-25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवक पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से रेस्पों. द्वारा की गयी बहस उचित प्रतीत होती है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बने, बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपने पिता व पूर्वहकअधिकारी लूणाराम के जीवनकाल में ही यह अपील मय धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ लेकर आये है जबकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लूणाराम द्वारा ही वाद पत्र पेश किया गया है एवं अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी में अंकित किया है कि अपीलार्थी के पिता लूणाराम ने वाद के लम्बित रहने के दौरान अपने हिस्से की समस्त भूमि को अपने पुत्र जयराम(अपीलार्थी संख्या 1) व स्व. मंगलचन्द(अपीलार्थी संख्या 2 के पति व अपीलार्थी संख्या 3 व 4 के पिता) को दिनांक 18/05/2015 को जरिये रजिस्टर्ड बक्शीशनामा अन्तरित कर दिया गया | चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/07/2009 को अपीलार्थीगण के पूर्वहकअधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन वाद में पारित की गयी, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा कोई अपील पेश किया जाना अपीलार्थीगण द्वारा जाहिर नहीं किया गया है एवं उनके स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी में प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 18/05/2015 के बक्शीशनामा द्वारा उन्हें प्राप्त होना अंकित किया गया है | ऐसे में अपीलार्थीगण का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्ष होना नहीं माना जा सकता एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं अपील स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है | अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है | फलस्वरूप अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर

